प्रकरण संख्या : 20/2017
राज० सरकार बनाम प्रेम देवी
निर्णय दिनांक : 06.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या	:	20/2017
दायर दिनांक	:	17.04.2017
निर्णय दिनांक	:	06.08.2025

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नी रामलाल जाति बैरवा, निवासी जिरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम मालगवास तहसील दौसा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 472 रकबा 0.23 है० प्रतिवादी की खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि से भिन्न उपयोग, उपभोग किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि में प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार विलोपित कर राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत आराजी को बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि से भिन्न उपयोग में लेने के कारण प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 अनुसार ग्राम मालगवास तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 472 रकबा 0.23 है० अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2017 अनुसार प्रश्नगत आराजी का मौके पर कृषि से भिन्न उपयोग में लिया जाना प्रमाणित होता है। निष्कर्षतः प्रश्नगत आराजी के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत आराजी को बिना किसी सक्षम कार्यालय की अनुमति के कृषि से भिन्न उपयोग में लिया प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार विलोपित कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मालगवास तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 472 रकबा 0.23 है० के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार विलोपित कर उक्त भूमि को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार दौसा निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज–दरामद करे। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)